न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 51/2007

1 महावीर आयु 66 साल पुत्र चिरंजी।
1/1 श्रीमती केला देवी पत्नी महावीर।
1/2 भूपसिंह पुत्र महावीर।
1/3 सुनिता पुत्री महावीर पत्नी रमेश।
1/4 चन्द्रकला पुत्री महावीर पत्नी पवन।
1/5 ललित पुत्र मदन व शकुन्तला।
1/6 अतीम पुत्र मदन व शकुन्तला।
1/7 रेनू पुत्री मदन व शकुन्तला समस्त जाति स्वामी निवासीगण बनगोठड़ी खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 सतवीर आयु 41 साल पुत्र बलबीर।
3 मुकेश आयु 28 साल पुत्र बलबीर।
4 शेरसिंह आयु 57 साल पुत्र चिरंजी।
5 राजकुमार आयु 48 साल पुत्र चिरंजी समस्त जाजि स्वामी निवावीगण बनगोठड़ी खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मूर्ति मन्दिर श्री रघुनाथजी वाके देह विराजमान मौजा बनगोठडी खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये पुजारी रोताश पुत्र भरथाराम जाति स्वामी निवासी बनगोठड़ी खुर्द तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री बअदालत उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी महावीर वगैरह बनाम मूर्ति मन्दिर वगैरह दावा मुकदमा नम्बर 108/2005 तारिख निर्णय व डिक्री 27.04.2007

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 25.02.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 108/2005 में पारित निर्णय दिनांक 27.04.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलांटस ने प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के विरूद्व भूमि गत खसरा नम्बर 184 हाल खसरा नम्बर 439,501 सरहद मौजा बनगोठड़ी खुर्द तहत तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू बाबत इस्तकरार हक व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित जमीन के 1/2 भाग की त्तकालीन ठिकाना से स्व चिरंजी ने लगान के एवज में काश्त हेतु प्राप्त की एवं लगान अदा किया गया। तत्कालीन ठिकाना ने उक्त जमीन को बाद में प्रतिवादी नम्बर 1 की माफी मे दे दी।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

माफी के दौरान लगान स्व चिरंजी द्वारा प्रतिवादी नम्बर 1की अदा किया गया। जमीन जैर बहस के 1/2 भाग पर स्वः चिरंजी बतौर टिनेन्ट काबिज काश्त रहा एवं पहले लगान तत्कालीन ठिकाना को एंव बाद में प्रतिवादी नम्बर 1 की तथा काश्तकारी कानून आने के बाद राजस्थान सरकार को अदा किया गया। वाद ग्रस्त जमीन का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के खुद काश्त में कभी नहीं नही । चिरंजी के देहान्त होने पर 1/2 भाग के टिनेन्सी राईटस उतराधिकार में चिरंजी के पुत्री को प्राप्त हुये। उक्त तथ्यो की ताईद राजस्व रिकार्ड से होती है। दौरान सैटलमेन्ट भू–प्रबन्ध अधिकारियों ने अवैधानिक रूप से बिना सुनवाई का अवसर दिये जमीन का रिकार्ड प्रतिवादी संख्या 1 के नाम बनाया जो गलत है। अपीलांट ने तनकी संख्या 1 को दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से बखुबी साबित किया है। अपीलांट संख्या 1 व 4 तथा 5 स्व चिरंजी के पुत्र है। स्व चिरंजी के मृत पुत्र बलबीर के वारिस अपीलांट नम्बर 2 व 3 है। तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट के विरूद्व पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलांट का कब्जा काश्त व टिनेन्सी साबित है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 2 का निर्णय अपीलांट के पक्ष में करना चाहिए था। तनकी संख्या 3 व 4 का निर्णय रेस्पोडेंट के पक्ष में करने मे कानूनी गलती की है। दफा 46 राजस्थान काश्तकारी कामून के प्रावधान प्रकरण मे लागू नहीं होते है। अपीलांट की 1/2 हिस्से की टिनेन्सी राजस्व रिकार्ड से साबित है। वाद कारण अपीलांट ने दर्ज किया एवं साबित किया है। उक्त तनकीयात पर निर्णय व्याख्या सहित पारित नही है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2000 एच.सी. पेज 14, 189,109 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर वाद वादी डिकी करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा 5 तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार है:–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

1. तनकी संख्या 1– आया जमीन हाल खसरा नम्बर 439 रकबा 1.28 हैक्टेयर हाल खसरा नम्बर 501 रकबा 7.89 हैक्टेयर कुल रकबा 9.17 हैक्टेयर सरहद मौजा बनगोठड़ी खुर्द में वादी संख्या 1 तथा 4 व 5 प्रत्येक 1/8 हिस्से के तथा वादी नम्बर 2 व 3 संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से के टिनेन्ट घोषित होने के अधिकारी है। – भारवादीगण

प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलांट द्वारा हाल खसरा नम्बर 439 व 501 में 1/2 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली में प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 439 एवं 501 गत खसरा नम्बर 184 मिन से बनना प्रकट होता है। पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2012 में विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 184 में वादी अपीलांट के पूर्वज चिरंजी पुत्र लक्ष्मीदास की 1/2 हिस्से पर खुद काश्त कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज के कॉलम में अंकित है। इसी जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 भूमि अधिकारी (जागीरदार उप जागीरदार) के कॉलम में जैर मंदिर श्री रघुनाथजी वाके देह हाजा व अहतमाम पुजारी सुरजा चेला बक्शीदास जाति स्वामी साकिन देह अंकित है। यही इन्द्राज जमाबंदी संवत 2015 में दोहराया गया है। संवत 2022 से 2025 की जमाबंदी में गत खसरा नम्बर 184 में वादी अपीलांट के पूर्वज चिरंजी पिसरान बक्सीराम का नाम कॉलम संख्या 5 मे नाम कृषक में अंकित है। कॉलम संख्या 4 में राजकीय अंकित है। इसी प्रकार इन्द्राज जमाबंदी संवत 2026 से 2029 एवं 2030 से 2033 में दोहराया गया है। जमाबंदी के इन इन्द्राजात से यह बखूबी साबित है कि वादी अपीलांट के पूर्वज चिरंजी पुत्र लक्ष्मीदास की 1/2 हिस्से पर खुद काश्त कॉलम संख्या 5 नाम कृषक विवरण सहित और कृषि काज के कॉलम में अंकित है। जबकि प्रतिवादी रेस्पोडेंट जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 भूमि अधिकारी (जागीरदार उप जागीरदार) के कॉलम में जैर मंदिर श्री रघुनाथजी वाके देह हाजा व अहतमाम पुजारी सुरजा चेला बक्शीदास जाति स्वामी साकिन देह अंकित है। जमाबंदी के इन इन्द्राजात से विवादित भूमि मूर्ति मंदिर की नही होकर वादीगण अपीलांट्स के पूर्वज की खातेदारी की होना एवं इस आधार पर वादीगण अपीलांट खातेदारी की उदघोषणा के अधिकारी पाये जाते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

है। इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि " Raj. Tenancy Act, 1955 Section 15 - Raj. Land Reforms and Resumtion of Jagirs Act, 1952 sec. 9&10 - Muafi land of deity - If the name tenant is reckorded in revenue records as khatedar or under any caption, the tenant becomes khatedar tenant by virtue of S.15 of Raj. Tenancy Act even the land belonged to deity - In the present case the land being cultivated petitioner ever since year 1949 and in year 1952 he was recorded as tenant caltivating the land, therefore, u/s 9 of jagirs Act, he had become khatedar thus in view of provisions of Ss. 9&10 of jagirs Act and S.15 of Tenancy Act, petitioner acquired status of khatedar tenant - Order od Board of Revenue quashed. इसी प्रकार न्यायिक दृष्टांत के पृष्ठ संख्या 189 पर अभिनिर्धारित किया है कि " Raj. Tenancy Act, Sections 15& 19 - Raj. Land Reforms and Resump jagirs Act, Section 9&10 - Muafi land of deity was being cultivated at the time of resumption under jagir Act. therefore, petitioners predecessors who at the relevant time were recorded I the column did acquire the right as tenant and on coming into force of the Act, they acquired khatedari rights by virtue of S.15- Muafi land been resumed by state, it cannot revert back to Muafidars - Order by Board of Revenue acception the Reference u/s 82, Land Revenue aside. उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड के विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांत की रोशनी में तनकी संख्या 1 साबित है एवं वाद वादी डिकी योग्य पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

चूंकि तनकी संख्या 1 वादी अपीलांट के पक्ष में साबित हो चुकी है अत शेष तनकीयात का विवेचन करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 184 हाल खसरा नम्बर 439,501 सरहद मौजा बनगोठड़ी खुर्द में वादी संख्या 1 महावीर के वारिसान अपीलांट संख्या 1/1 से 1/7 को कुल भूमि में से 1/8 हिस्से का, तथा वादी संख्या 4 शेरसिंह व वादी संख्या 5 राजकुमार को प्रत्येक को विवादित भूमि मे से 1/8 हिस्से का एवं वादी नम्बर 2 सतवीर व वादी नम्बर 3 मुकेश को विवादित भूमि में से संयुक्त रूप से 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 मूर्ति मंदिर को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर